

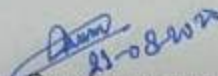


चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : जनसूचना 10561  
दिनांक : 21.08.2020

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(2) (एक) के अंतर्गत प्रतिलिपि शुल्क  
रु0 2.00/-प्रत्येक पृष्ठ लिये जाने के प्राविधान का संज्ञान लेते हुए तथा मा0 कुलपति जी के  
आदेशानुसार पूर्व निर्धारित शुल्क में संशोधन करते हुए सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि  
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्ति हेतु पूर्व  
निर्धारित शुल्क रु0 32.00/-प्रति कोड/विषय के स्थान पर वर्तमान संशोधित दर  
रु0 66.00/- (कुल 33 पृष्ठ) प्रति उत्तर पुस्तिका/प्रति कोड/प्रति विषय शुल्क देय होगा।

  
कुलसचिव/जनसूचना अधिकारी  
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. वैयक्तिक सहायक कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
03. वैयक्तिक सहायक वित्त अधिकारी को वित्त अधिकारी के सूचनार्थ प्रेषित।
04. सहायक कुलसचिव (उ0पु0), चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
05. प्रभारी, वेबसाइट को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।
06. गार्ड फाइल।

उपकुलसचिव (जनसूचना विभाग)  
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।